

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 02/2022 (2022/139)

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी

श्री मोहित जैन पुत्र रावलचन्द जैन, उम्र 22 वर्ष, (एफ बी ओ एवं विक्रेता), फर्म मैसर्स मोहित जैन, जैन मन्दिर के पास, बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

निवासी जैन मन्दिर के पास, बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री अभिजीत पंचारिया (अप्रार्थी)।

—:आदेश :-

दिनांक :- 05.04.2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 09.03.2022 को रजनीश शर्मा बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैंकिंग फर्म मैसर्स मोहित जैन, जैन मन्दिर के पास, बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर पर पहुंचा व व अपना परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया, इस समय निर्माण ईकाई पर (एफबीओ/विक्रेता/मालिक) की हैसियत से मोहित जैन पुत्र रावलचन्द जैन उपस्थित मिले जो आम जनता को विक्रय वास्ते किचन स्पेशल वनस्पति (श्री सरिता) का विक्रय कर रहे थे। विक्रेता से वर्ष 2020 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, इन्होंने खाद्य अनु0 12219032000663, जीएसटी प्रमाण-पत्र एवं स्वयं का पहचान पत्र पेश किया। निर्माण ईकाई का निरीक्षण करने पर एल्यूमिनियम के भगोने में किचन स्पेशल वनस्पति (श्री सरिता) 1 लीटर के 15 जार के 2 कार्टून, 1 लीटर के 15 पैकेट्स के 5 कार्टून, 500 एम0 एल0 के 30 पैकेट्स के 4 कार्टून, 5 लीटर के 4 जार, 15 किलोग्राम के 7 टिन कुल मात्रा 320 लीटर एवं 105 किलोग्राम आम जनता को वास्ते विक्रय हेतु रखे हुए थे। मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाह के सामने विक्रेता को रूपये 675/- नगद देकर किचन स्पेशल वनस्पति (श्री सरिता) 500 1 लीटर के 04 जार वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं, जिसकी असल प्रति सलंगन है।

विक्रेता व गवाह के सामने उक्त किचन स्पेशल वनस्पति (श्री सरिता) के 04 जार हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एम-2831 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। मैने, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। इन चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से



लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम-2831 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर के नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में मैने, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना एम-2831 सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मैने स्वयं ने, गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की असल मौका फर्द सलंगन है।

कार्यालय पहुंच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की गयी जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया एवं जिस सील से नमूना सिल्ड किया गया उसका सील इम्प्रेशन अंकित किया गया। फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर मे लपेट कर मोटे धागे से बान्धकर नियमानुसार सिल चपडी से सिल्ड किया गया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे मे रखकर सिल चपडी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा स्वयं के द्वारा दिनांक 10.03.2022 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की जो अलग-अलग असल सलंगन है।

एम-2831 नमूने के द्वितीय, तृतीय भाग अभिहित अधिकारी जोधपुर को दिनांक 09.03.2022 को एवं चतुर्थ भाग दिनांक 09.03.2022 को जमा कराये गये जिनकी प्राप्ती रसीद दोनो अलग-अलग मूल सलंगन हैं।

अभिहित अधिकारी जोधपुर के पत्र क्रमांक 303-304 दिनांक 30.03.2022 के साथ संलग्न खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 762/एक्ट/2022/744 दिनांक 22.03.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ किचन स्पेशल वनस्पति (श्री सरिता) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण असुरक्षित (Unsafe) होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्टे सलंगन है। जिसकी सूचना नियम 2.4.6 (1) एवं धारा 46 (4) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु अप्रार्थी को प्रेषित की गई। अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच रेफरल लेबोरेटरी पुणे से पुनः जांच के आवेदन दिनांक 31.03.2022 पर उक्त नमूना एम-2831 नियमानुसार जरिये मेमोरेण्डम संख्या 440-441 दिनांक 09.05.2022 के द्वारा निदेशक, रेफरल फूड लैब, पूणे को भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट RLP/P/DO/318/22/378/2022 दिनांक 13.06.2022 के

अनुसार उक्त किचन स्पेशल वनस्पति (श्री सरिता) अमानक स्तर (Sub-standard) होना पाया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अभिजीत पंचारिया ने वकालतनामा तथा प्रारम्भिक आपत्तियाँ पेश की। अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से पेश नहीं किया गया है क्योंकि प्रार्थी स्वयं लैब टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय के पद पर नियुक्त हुआ था तथा सरकार द्वारा उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी का जो चार्ज दिया गया था उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इस कारण उन्हें सैम्पल लेने का तथा न्यायालय में प्रकरण पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रारम्भिक स्तर पर ही उक्त प्रकरण निरस्त योग्य होने से निरस्त योग्य है। अन्त में प्रकरण निरस्त कर प्रार्थी पर भारी जुर्माना लगाने की इस्तदुआ की।

प्रार्थी ने प्रत्युत्तर में बतलाया कि राज्य सरकार के राजस्थान राजपत्र विशेषांक जिसका प्रकाशन 25 जुलाई 2011 (प्रार्थी का क्रम संख्या 74 में) किया गया जिसके द्वारा प्रार्थी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के कार्य के निर्वहन करने हेतु अधिकृत किया गया। उक्त अधिसूचना आज दिनांक तक राज्य सरकार के द्वारा प्रभावी है।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया तथा अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी की फर्म से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जांच हेतु किचन स्पेशल वनस्पति (श्री सरिता) का सैम्पल लिया गया। उक्त सैम्पल की खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर की मूल जांच रिपोर्ट एल. एस. 762/एक्ट/2022/744 दिनांक 22.03.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ किचन स्पेशल वनस्पति (श्री सरिता) का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण असुरक्षित (Unsafe) होना पाया गया, अग्रेषण पत्र मय जांच रिपोर्टे सलंग्न है। जिसकी सूचना नियम 2.4.6 (1) एवं धारा 46 (4) के तहत अग्रिम कार्यवाही हेतु अप्रार्थी को प्रेषित की गई। अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच रेफरल लेबोरेटरी पुणे से पुनः जांच के आवेदन दिनांक 31.03.2022 पर उक्त नमूना एम-2831 नियमानुसार जरिये मेमोरेण्डम संख्या 440-441 दिनांक 09.05.2022 के द्वारा निदेशक, रेफरल फूड लैब, पुणे को भिजवाया गया जिसकी जांच रिपोर्ट RLP/P/DO/318/22/378/2022 दिनांक 13.06.2022 के अनुसार उक्त किचन स्पेशल वनस्पति (श्री सरिता) अमानक स्तर (Sub-standard) होना पाया गया। उक्त प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय या वितरण करके अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा 51 के अर्न्तगत जुर्माने योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

आदेश

अप्रार्थी श्री मोहित जैन पुत्र रावलचन्द जैन पर शास्ती रूपये 5,000/- अक्षरे रूपये पांच हजार रूपये की आरोपित की जाती है। अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर-अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपी:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

क्रमांक: कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2023/

दिनांक :-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. श्री मोहित जैन पुत्र रावलचन्द जैन, उम्र 22 वर्ष, (एफ बी ओ एवं विक्रेता), फर्म मैसर्स मोहित जैन, जैन मन्दिर के पास, बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर। निवासी जैन मन्दिर के पास, बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

(मदनलाल नेहरा)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।